फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री सीताराम सैनी पिता श्री मंगलचन्द सैनी गॉव–सैनीपुरा, पोस्ट–डूण्डलोद, जिला–झुंझुनूं

बनाम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 40/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.04.2018	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री सीताराम सैनी पिता श्री मंगलचन्द सैनी गांव–सैनीपुरा, पोस्ट–डूण्डलोद, जिला–झुंझुनूं द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 22.03.2018 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से जिला परिषद चित्तौड़गढ़ से संबंधित सूचनायें चाही गई। जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ तथा अपीलीय अधिकारी स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चित्तौड़गढ़ हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। चूंकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	